

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05032022-233950
SG-DL-E-05032022-233950

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/फाल्गुन 13, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 493
No. 133]	DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943	[N. C. T. D. No. 493

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 4 मार्च, 2022

सं. एफ. 4(101)/राचुआ/लॉ/2022/4054.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 आयोग की धारा 3 की के प्रावधान के तहत जारी आयोग की अधिसूचना संख्या— सं. एफ. 4(101)/राचुआ/लॉ/2022/3309 दिनांक 25.01.2022 में संलग्न तालिक के कॉलम (2) में वार्ड संख्या 45—एन और 42—ई के नाम के संबंध में मौजूदा प्रविष्टि के लिए, संशोधित प्रविष्टियों को क्रमशः सुल्तानपुरी—ए और सीलमपुर के रूप में पढ़ा जाएगा ।

एस. के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION**CORRIGENDUM**

Delhi, the 4th March, 2022

No.F.4(101)/SEC/LAW/2022/4054.—In column (2) of the Table appended to in the Commission's Notification No.F.4(101)/SEC/LAW/ 2022/3309 Dated 25.01.2022, issued under the provision of Section 3 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, for the existing entry in respect of name of ward no 45-N and 42-E, revised entries shall be read as SULTANPURI-A and SEELAMPUR respectively.

S.K. SRIVASTAVA, State Election Commissioner